श्री ललन राम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/2613 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य के पलामू जिला अन्तर्गत हड़ियाही डैम से बटाने दायें नहर का पानी औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा, देव, मदनपुर एवं शेरघाटी तक आता है ;	झारखंड राज्य के पलामू जिला अंतर्गत बटाने जलाशय योजना के तहत निर्मित बटाने डैम (हड़ियाही डैम) से लगभग 03 कि॰मी॰ दूरी पर बटाने पिक-अप बराज से बटाने दायाँ एवं बायाँ मुख्य नहर निकलती है। बिहार राज्य में दायाँ मुख्य नहर का कमाण्ड क्षेत्र औरंगाबाद जिला के अंतर्गत केवल देव प्रखण्ड तक सीमित है। वर्तमान अवधि तक (बिहार भू-भाग अतंर्गत) उल्लेखित नहर में जलश्राव प्रवाहित कर पाना संभव नहीं हो सका है। विदित हो कि वर्तमान में बटाने बायाँ मुख्य नहर से बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा एवं नवीनगर प्रखंड के अच्छादित कमाण्ड क्षेत्र में जल की उपलब्धता के अनुरूप आंशिक रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाना संभव हो सका है।
2.	क्या यह बात सही है कि बटाने नहर का काम अधूरा रहने के कारण हजारो हेक्टयर भूमि असिंचित है ;	झारखंड राज्य में स्थित बटाने जलाशय योजना के अंतर्गत निर्मित बटाने डैम (हड़ियाही डैम) से प्रभावित रैयतों द्वारा अर्जित भूमि का पूर्ण मुआवजा भुगतान नहीं लिया गया है। साथ ही, अर्जित भूमि के मुआवजे की मांग का समाधान भी अब तक नहीं हो सका है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावित रैयतों द्वारा डैम के `sluice gate` को उठाकर `weld` कर दिया गया, जिससे डैम में जल संचयन संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त, झारखंड राज्य में बटाने दायाँ नहर के कि॰मी॰ 0.00 से कि॰मी॰ 13.84 के बीच नहर निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। पहाड़ की तलहटी से होकर गुजरने वाले नहर खंड में आवश्यक निर्माणात्मक कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। साथ ही, झारखंड राज्य क्षेत्र में उक्त नहर के कि॰मी॰ 9.6 पर स्थित
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बटाने नहर के अधूरे कार्य को पूरा कर झारखंड सरकार से पहल कर खेतों को सिंचित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	

		क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट के पुनस्र्थापन का कार्य भी लंबित है। वहीं, बिहार राज्य के भू-भाग में उक्त नहर के कि॰मी॰ 13.84 से कि॰मी॰ 31.46 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके बावजूद, झारखंड क्षेत्र में कार्य अधूरा रहने के कारण बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड अंतर्गत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। बटाने डैम (हड़ियाही डैम) तथा उससे निकलने वाली बटाने दायां एवं बायां नहर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के उद्देश्य से दोनों राज्य सरकारों के बीच दिनांक 26.06.2006 को समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अंतर्गत अब तक झारखंड सरकार को 129.74 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उक्त मामले को पूर्वी श्रेत्रीय परिषद की आगामी बैठक की कार्यवाली सूची में सम्मलित किये जाने हेतु दिनांक 12.09.2024 एवं दिनांक 07.01.2026 को गृह विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–06 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 2613 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–06 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–06 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–06 / 2026 1334 पटना / दिनांक :10/3/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव